



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010पार्ट-1/00544

जयपुर, दिनांक:- 23 SEP 2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.07.2019 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति के सृजित पदों पर कार्यरत प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पदों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 29.02.2020 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के 9042 तथा संविदा के 7103 कार्यरत पदों की समयावधि वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ाये जाने की सहमति पूर्व में दी गई निम्न शर्तों पर दी जाती है -

1. विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में अनुमत सीमा से अधिक व्यय होने पर राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
2. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. संविदा की नियुक्ति/Deployment जॉब बेसिस पर आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में सुनिश्चित की जावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 102003998 दिनांक 08.09.2020 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के 29.02.2020 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ाई जाने की कार्यवाही की जम्मे।

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, (प्रशासन) ग्रामीण विकास (अनुभाग-1) विभाग, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
8. अति.आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
9. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
10. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जिला समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस